न्यायालय सिविल जज (एस0डी0), रूड़की, जिला हरिद्वार।

दीवानी मूलवाद संख्या–220 / 2020
सी0एन0आर0 नम्बर–UKHA07-000296-2020
कलीम विरूद्ध मो0 हमजा खान आदि।

दिनांक 12.08.2026–

पुकारा गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज प्रताप सिंह उपस्थित आये। पत्रावली आज वास्ते विवाद्यक विरचन हेतु नियत हैं। पक्षगण के मध्य इस स्तर पर राजीनामें की संभावना न होने का कथन किया गया है। पक्षगण के अभिवचन स्पष्ट है। अतः पक्षकारों के बयान आदेश 10 नियम 2 सिविल प्रकिया संहिता अभिलिखित न करते हुए वाद के निस्तारण हेतु पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये जाते हैं–

1. क्या दानपत्र जिसकी बही संख्या 01 की जिल्द संख्या 1304 के पृष्ठ संख्या 315 से 332 पर क्रमांक 1803 पर दिनांक 18.04.2018 को उपनिबन्धक रूड़की के कार्यालय में पंजीकृत हुआ है, निरस्त किये जाने योग्य है?
2. क्या वाद धारा 331 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्नमूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम से बाधित है?
3. क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन किया गया है?
4. क्या वादी द्वारा पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है?
5. क्या वादी, वादपत्र में चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

अन्य कोई विवाद्यक विरचित किया जाना प्रतीत नहीं होता है और न ही पक्षकारों के द्वारा अन्य कोई विवाद्यक विरचित किये जाने पर बल दिया गया है। पक्षकार एक दूसरे के द्वारा दाखिल दस्तावेजों पर स्वीकृति / अस्वीकृति का पृष्ठांकन कर गवाह सूची दाखिल करें।

पत्रावली वास्ते सुनवाई वाद विवाद्यक सख्या 3 व 4 दिनांक 14.10.2026 को पेश हो।

(बीनू गुल्यानी)
सिविल जज (एस0डी0),
रूड़की, जिला हरिद्वार।